फाइल नं0-71-3099/155/2021-03

65/2023/1/315309/2023

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
शाहजहॉपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांकः 12 मई, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहॉपुर हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के पत्र संख्या–एमई/बजट/2021-22 /61, दिनॉक 13.05.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहॉपुर के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा जमा की गयी जी0एस0टी0 की धनराशि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-45/2023/1/291684/2023-71-3099/155/2021-03, दिनॉक 23.03.2023 द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहॉपुर के निर्माण कार्य हेतु जी0एस0टी0 के रूप में जमा की गई धनराशि के भुगतान हेतु रू0 195.08 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहॉपुर के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख (रू0 पॉच करोड़ मात्र) कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 के रूप में जमा की गई धनराशि के भुगतान हेतु इस शर्त के अधीन अवमुक्त की जाती है कि प्रधानाचार्य एवं वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, शाहजहॉपुर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यदायी संस्था द्वारा जमा की गयी धनराशि का रिफण्ड प्राप्त नहीं हुआ है।

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. प्रश्नगत धनराशि इस शर्त के साथ अनुमोदित की जाती है कि कार्यदायी संस्था GST मद में अवमुक्त धनराशी से यह सुनिश्चित करेगी कि अस्पताल भवन के अपूर्ण कार्य को 6 माह के अन्दर पूर्ण करा कर हस्तगत करें। महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, शाहजहॉपुर द्वारा भी यह सुनिश्चित किया जायेगा।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231 /2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते/डाकघर में नही रखा जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।
5. कार्यदायी संस्था सुनिश्चित करेगी कि अस्पताल भवन का अवशेष कार्य समयबद्ध रूप से पूर्व निर्धारित माइलस्टोन की पूर्ति करते हुए पूर्ण की जाएगी एवं सम्बंधित प्रधानाचार्य इस पर अपना पूर्ण पर्यवेक्षण रखेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,00,000.00 (रुपये पॉच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031058100 मेडिकल कालेज, शाहजहॉपुर मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231 /2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या/तददिनांक, उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहॉपुर।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी, शाहजहॉपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in